शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1955/18–4–13–29(विविध)/12

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 31 जनवरी,2014

विषय–'अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता कार्यक्रम' सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 6 फरवरी, 2008 के क्रम में आवेदन से भुगतान तक की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश के निर्यातकों को विपणन विकास सहायता उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–669/18–4–2007–18(बजट)/07, दिनांक 06.02.2008 एवं शासनादेश संख्या–815/18–4–2013–10(बजट)/07, दिनांक 31 मई,2013 में किये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि जनपदों से बहुत सारे प्रकरण इस प्रकार के आ रहे है कि आन लाइन आवेदन पत्र अन्तिम तिथि दिनांक 30.09.2013 को फाइल तो कर दिये गये है लेकिन समय से हार्ड कापी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्राप्त नही हो रही है। संदर्भित शासनादेशों में स्पष्ट रूप से अंकित नही है कि ऐसे प्रकरणों में क्या कार्यवाही होनी चाहिए।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितम्बर (अन्तिम तिथि) तक आन लाइन किये गये प्रार्थनापत्र की हार्ड कापी यदि 15 अक्टूबर तक महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्राप्त नही हुई है तो उसे कालातीत मानते हुए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1955(1)/18–4–14–29(विविध)/12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश।
3. परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग।
5. गार्ड फाइल/पत्रावली संख्या–10(बजट)/07 ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।